RAJYA SABHA

Friday, the 13th May, 1994

23rd Vaisakha, 1916 (Saka)

The House met at the eleven of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS)

विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय-गृह

*661. **श्री इकबाल सिंह**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पंजाब में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्रय गृहों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आश्रय-गृहों में तकनीकी शिक्षा और आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(च) देश में कौन-कौन से जिलों में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए इस प्रकार के आश्रय-गृहों की स्थापना नहीं की गई है; और

(छ) उक्त स्थानों पर ऐसे आश्रय-गृहों की स्थापना करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir.

(b) Do not arise.

श्री इकबाल सिंह: उपसभापति महोदया, यह बड़े दुख की बात है कि इस देश में इतनी टेररिस्ट अफेक्टेड महिलाएं हैं, विधवाएं हैं चाहे पंजाब में देख लीजिये, चाहे जम्मू-कश्मीर में देख लीजिये, चाहे आसाम में देख लीजिये, चाहे दिल्ली के 84 के दंगों को देख लीजिये और चाहे महाराष्ट्र में जो बम ब्लास्ट हुए, उनको देख लीजिये। मंत्री जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन डज नॉट अराइज। किस चीज़ का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, यह मुझे पता नहीं चलता? क्या इन्होंने उन महिलाओं को कोई सोशल सिक्युरिटी देने के लिए कोई विशेष स्कीम बनाई है? उनके लिए कोई होम्स बनाए हैं? छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को टेक्नीकल एजुकेशन देने के लिए कोई स्कीम बनाई है जिससे यह महिलाएं अपना काम कर सकें? हिन्दुस्तान में जितनी महिलाएं अफक्टेड हैं उनकी आधा संख्या पंजाब में है और बंगलादेश के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह एक अनअनाऊंस्ड वार है, पाकिस्तान ने टेररिज्म फैलाया और हमारे ऊपर इस ढंग से जुल्म किया कि आज हिन्दुस्तान में 32 हजार के करीब महिलाएं और घर हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ा है। हिन्दुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इस प्रकार की घटनाएं न हुई हों। आसाम में क्या नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद मंत्री जी का यह जवाब कि क्वेश्चन डज नाट अराइज, मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कल्याण मंत्री होते हुए उन विधवाओं का क्या कल्याण किया, उन बच्चों का क्या कल्याण किया, उन मदर्स का जिनके बच्चे मर गये, उनका क्या कल्याण किया? **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: इस सरकार के रहते कल्याण का तो माहौल ही पैदा नहीं होता **(व्यवधान)**

उपसभापति: अभी तो महेन्द्र सिंह कल्याण भी हाऊस में नहीं है **(व्यवधान)**

SHRI K. V. THANGKABALU: Madam, the Government of India, in the Ministry of Welfare or in the Department of Woman and Child Development, do not have any specific schemes for widows and destitute women. (Interruption).

श्री जकबाल सिंह : कल्याण मंत्री के पास कोई स्कीम ही नहीं है (व्यवधान)

SHRI K. V. THANGKABALU): Please listen to me. I have said that there is no specific programme or scheme for this section of the society. However, widows, destitute women and their children who are in moral danger can be accommodated through the scheme of Short Stay Homes under the Department of Women and Child Development. This scheme is under the Department of Woman and Child Development. It is an on-going scheme. Under this scheme, destitute women and children are accommodated and they are getting benefits. There are grants-in-aid given to voluntary organisations for establishing Short Stay Homes. This is a socialised scheme providing counselling, psychiatric and rehabilitation support to those women and girls who are in moral danger or who are facing mental disorders as a result of mental problems, sexual abuse and social ostracism. Further, the Department of Woman and Child Development has another programme known as the Socio-Economic Programme which covers destitute women, widows, children and backward women and physically handicapped under this programme, in the Seventh Plan, a total number of 2,270 units of production-cum-employment centres, yielding employment opportunities to over 34,000 needy women and destitute persons, were provided with financial assistance. During the year 1993-94, about Rs. 4.50 crore was released to 502 units to benefit 4248 beneficiaries. During 1994-95, the Budget provision for this ... (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a specific question. Mr. Minister, you may say that these are the present programmes for the benefit of women, widows, destitutes and others. The specific question of Mr. Iqbal Singh is whether there is any programme specially for those who were killed by the terrorist activities or who were killed in the bombed blasts or communal riots. Is there any programme for them? If there is no programme, then you may say that you will consider it.

SHRI K. V. THANGKABALU: Madam, I am coming to that point. There is an in-built capacity in this programme to adopt this section also. But we do not have any specific programme at the moment. But we will certainly consider this programme in future.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That That is a good answer. That is better.

श्री इकबाल सिंह: मैडम, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने कोई नयी स्कीम बनाने के लिए कल्याण मंत्रालय को कहा। ये महिलाएं जो हैं ये देश में बहुत दुखी महिलाएं हैं। ये समाज की मारी हुई महिलाएं हैं। पंजाब में 1500 रुपये पेंशन दे रहे हैं और पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि जो टेरोरिस्ट अफेक्टेड होगा उसको 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। 1991 में पंजाब में यह किया गया कि एक लाख रुपया माना गया—अभी तक जो पहले शहीद हुए है, मैं इनको शहीद ही मानता हूं जो पाकिस्तान के जरिये मारे गये हैं। महाराष्ट्र में जब बम ब्लास्ट हुआ तो वहां पर दो लाख रुपये दिये गये। दिल्ली में बहुत कम दिये गये। जम्मू काश्मीर में कहीं पर 10 हजार, कहीं 25 हजार दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह इन्सानी खून जो है यह एक जैसा नहीं है, ये सब लोग भारतीय नहीं है मैं मंत्री जी से यह जानना जाहता हूं कि क्यों यह डिसक्रिमिनेशन है। पंजाब में पेंशन पिछले सात महीने

में नही मिली है क्योंकि केन्द्र से फंड् नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने सुबह एक विडो मे पूछा तो उनको दो महीने मे पेंशन नही मिल रही है। उसको 50 हजार रुपया भी नहीं मिला जो सरकार दो साल पहले अनाउंस कर चुकी है। मैं मंत्री जी मे कहना चाहता हूं कि आप हासेज तो अभी तक बना नहीं सके, टेक्निकल इजुकेशन दे नहीं पाये। अब जो यह हेल्प कर रह हैं इसमें डिस-क्रिमिनेशन क्यों है मंत्री जी यह कब तक ठीक करें, यह मैं माननीय मंत्री जी मे जानना चाहता हूं।

SHRI K. V. THANGKABALU: Madam, our point of view is that there is no discrimination between one place and another place and between one section and another section. But the State Governments are adopting these proposals and as and when the State Governments want, we, with a view to supporting the State Governments in this regard, would like to have a uniform policy so that they will get an equal amount of money as and when some incident of this nature occurs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think now, no question arises out of it because he has no answer. (*Interruptions*) The point is, I know that all of you have got the questions but the Minister has no programme at the moment. He committed in the House .. (*Interruptions*)

श्रीमती मालती शर्मा: मैडम, केवल एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं.. **(व्यवधान)**

SHRIMATI MIRA DAS: The Ministry should have some programmes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are on-going programme. But the Minister said that when there are on-going programmes and if they do not come under that head, he can form a special programme. The Members say that he should form some special programme. (*Interruptions*) Then, I will go according to the names which came to me and not like this. Gujral Saheb, I will go according to the names which are before me. If the Members want to ask questions on the subject for which the Minister has no answer, then they can do so.....

...**(व्यवधान)** ठीक है रामजी लालजी बोलिए।

श्री रामजी लाल: उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने "नो सर", "क्वेश्चन डज नाट अराइज" का उत्तर दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार या हमारा जो नेशनल वीमेन कमीशन बना हुआ है वहां से कोई इन विडो होम्स में, विडोज, इस्टीट्यूट वीमेन व मिलने वाली सुविधाओं को देखने के लिए कहीं गया है हिसार में या हरियाणा में और इसके अलावा कौन-कौन सी प्रयारिटीज़ इन होम्ज़ का चैक रखती हैं, इसका ब्यौरा क्या है जिले में इन होम्ज़ के खोलने का क्या क्राइ-टीरिया है, क्या यह बताने की कृपा करेंगे?

SHRI K. V. THANGKABALU): Madam, this falls under the Department of my colleague. ... (*Interruptions*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. no; let her reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): Madam, Deputy Chairman, my hon. colleague has already told you about the Short Stay Homes. Except Short Stay Homes, we don't have any other homes like widow homes or destitute homes, but wherever necessary, we have been to such places. When there was a natural calamity in Latur, we did send our people there and we did carry out a survey of the widow and also the children who were abandoned. We have implemented the whloe programme and rehabilitated the widows as well as the children. At present we do not have such a pro-

gramme, but as regards the Short Stay Homes, they take care of these destitute women, as stated by the hon. Minister of Welfare. At present we have got a total number of 256 Short Stay Homes and a total number of 7,710 beneficiaries in the country. Apart from this, we are having so many programmes for the ladies—Condensed Courses for Education and Training for Adult Women, Socio Economic Programme—which has been implemented by the Social Welfare Board grants-in-aid to voluntary organisations through Central Social Welfare Board, National Credit Fund for Women, Mahila Samriddhi Yojana. And we are running the Income Generation Programme for women which will definitely give employment to women. Madam, these are the programmes which we are presently having.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, सबस से पहले तो मैं टिप्पणी करना चाहूंगी कि जब से मैं राज्य सभा में आई हू, किसी प्रश्न के उत्तर को सुनकर मुझे इतना दुख और आश्चर्य नहीं हुआ है जितना कि मुझे इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण समस्या की तरफ प्रश्नकर्ता ने सरकार का ध्यान खींचा था कि निराश्रित महिलाए; दगे में मारी गई विधवाए, उनके बच्चों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आश्रय घर बनाने की सरकार की योजना है। बड़ी हेकड़ी से सरकार का जवाब आया कि "नहीं" और भविष्य के लिए भी उन्होंने कहा कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उपसभापति महोदया, यह तो आपने चेअर पर से टिप्पणी की तो कंसिडर करने को मंत्री महोदय मानें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार इतनी कर्त्तव्यविहीन क्यों हो गई है? क्या सरकार इन विधवाओं और इन मासूम अनाथ बच्चों के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती? ये औरतें दोहरी मार खा रही हैं। पहले समाज के हाथों दंगा-पीड़ित हुई, पति खोए, बच्चे अनाथ किए और अब अगर यह सरकार भी अपना पल्ला झाड़ लेगी और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगी तो ये कहां जायेंगी? इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह सवाल है कि जिस तरह दंगों से निपटने के लिए एक अलग कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है रैपिड एक्शन फोर्स बना रही है, बाकी चीजें कर रही है, उसी हैड के तहत क्या इन लोगों के पुनर्वास का भी कार्यक्रम बनाने की कोई नई योजना इनका मंत्रालय शुरू करेगा या नहीं?

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Madam Deputy Chairman, I think, the suggestion given by the hon. Member has to be considered, and we will try to consider, as stated by the hon. Minister of Welfare already. At present, Madam, as I have already told you, the Short Stay Homes would take care of all these things. Apart from that, we have got Old Age Homes also wherein such women are being given shelter in old-age.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, इनके कार्य क्षेत्र में बाल विधवाएं **(व्यवधान)**

उपसभापति: सुन लें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सोशली इस तरह की महिलाएं होती हैं। उसमें दंगा पीड़ित महिलाएं नहीं आती हैं। मैंने जो कहा है वह तो उसमें ही नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: If any NGOs are interested in establishing such homes, we are prepared to give grants to them. At present, we have no specific programme like destitute and widow homes, but if they want to start, we will consider. ... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am calling according to the list of name

that I have with me. If the Members still want to put supplementaries on this question, no answer is going to come over and above what has come; so, let us go ahead with the Table of the House. (See below).

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

*662. **श्री अजीत जोगी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के लिए ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (See below).

(c) Does not arise.

Statement

Targets fixed under the various Central and Centrally sponsored Scheme formulated for the Welfare of SC/ST, Handicapped persons and Weaker Sections of the Societies.

Sl.No.	Name of Scheme	1993-94	
		Budget Allocation (Rs. in crores)	Physical targets
1	2	3	4
Scheduled Castes Development			
1	Special Central Assistance . .	273.00	*26.42 Lakh Families
2	Contribution towards the Share Capital of SC Devl. Corp. of State	22.00	5.90 Lakh Beneficiar-aries
3	National SC & ST Finance and Development Corporation	21.00	5,000 thousand Beneficiaries.
4	Liberation & Rehabilitation of Scavangers	73.20	51,000 Scavangers
5	Post-Matric Scholarships for SCs & STs .	72.40	18.30 Lakh Scholars ships
6	Pre-Matric Scholarship for Children of those engaged in unclean occupation . .	14.00	2.80 lakh Scholarships
7	Girls Hostels for SCs	6.00	200 Hostels 10,500 Girls
8	Boys Hotels for SCs	6.00	230 Hostels 12,000 Boys
9	National Overseas Schorlrship Scheme .	0.76	30 Scholarships 9 Passage Grants